न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 04/2012

प्रार्थी	बनाम्	अप्रार्थीगण
भूराराम गोदारा खाध सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर		1.पूनमाराम पुत्र लूम्भाराम जाति जाट निवासी केकड़ धोरीमना तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 2. रेखाराम पुत्र धूड़ाराम जाति जाट निवासी बलदेव नगर बाड़मेर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर उपस्थित।
2. विप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता अनुपस्थित।
3. विप्रार्थी संख्या 02 एक तरफा।

निर्णय दिनांक 21.03.2017

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 25.01.2012 को शुद्व के लिए युद्व अभियान के दौरान जरिये सरकारी वाहन निरीक्षण करते हुए प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी कृषि मण्डी बाड़मेर के गेट के सामने हाईवे पर दोपहर 01.00 पहुॅचने पर सामने से एक वाहन आरजे 04 जीए 5151 मिनी ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, तो उसे रूकवाया गया। वाहन के अन्दर 50–50 लीटर के दूध से भरे हुए 10 केन रखे हुए पाये गये। जिसके बारे में पूछने पर वाहन चालक पूनमाराम पुत्र लुम्भाराम जाति जाट निवासी केकड़ धोरीमना तहसील गुड़ामालानी ने बताया कि उक्त दूध रेखाराम पुत्र धूड़ाराम के लिये परिवहन कर लाया गया है एवं वाहन भी रेखाराम का है। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में वाहन निरीक्षण करने पर 50–50 लीटर के 10 केन दूध से भरे हुए पाये। दूध में मिलावट का सन्देह होने पर उक्त दूध में से दो लीटर दूध नपवा कर चार कांच की साफ सुखी व खाली शिशियॉ में बराबर मात्रा में भरा गया, जिसका भुगतान मालिक विक्रेता को 56/– रूपये अदा किया गया। उक्त प्रत्येक शीशी में 40–40 बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजररेटिव के रूप में डालकर उसके उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा उसके उपर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

विवरण अंकित कर गवाहो व वाहन चालक के हस्ताक्षर करवाये गये एंव स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी.132 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को कॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों के एंव प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहो के रूबरू की गई तथा चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.132 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर कर, नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि खाध पेय पदार्थ दूध नमूना पी.132 की जॉच रिपोर्ट एलएस/54/एक्ट/2012/54 दिनांक 06.02.2012 को अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर को भेजी जिस पर जॉच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर नमूना जॉच में दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाध पेय पदार्थ दूध (मिक्स) का विक्रय करके खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद निस्तारण हेतु पेश किया। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति,कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.132 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये।

3. वक्त बहस अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। न्यायालय समय समाप्ति तक अलग–अलग समय में तीन बार आवाजे लगायी गई मगर अप्रार्थी संख्या 01 व इनके अधिवक्ता हाजिर नहीं आये फलस्वरूप अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया जाता है। पत्रावली दिसम्बर 04.05.2016 से बहस में होने एवं अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता को बहस हेतु कई अवसर देने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। अतः बहस एक तरफा सुनी गई। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 25.01.2012 को वाहन संख्या आरजे 04 जीए 1551 में 50–50 लीटर 10 केन दूध (मिक्स) आम जनता को बेचने हेतु परिवहन कर ले जाया जा रहा था। उक्त दूध में मिलावट होने का सन्देह होने पर दूध का नियमानुसार नमूना लिया गया। जांच के दौरान दूध (मिक्स) का नमूना पी.132 निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard) होना पाया गया, जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4. हमने एकतरफा बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/54 एक्ट/2012/54 दिनांक 06.02.2012 के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा परिवहन कर लाया जा रहा दूध का नमूना, जांच रिपोर्ट में निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण पूनमाराम वगैरहा द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत पाये गये दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard) का दूध रखने एवं बेचने के दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

का प्रावधान किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 में अप्रार्थीगण पूनमाराम व रेखाराम प्रत्येक पर 10000/-(अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 21.03.2017 से एक माह के अंदर- अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ०पी०बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 21.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर